उत्तराखण्ड सरकार

महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय

बिथ्याणी (यमकेश्वर) पौड़ी गढ़वाल

शैक्षणिक विवरणिका 20___ - 20___

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल (उत्तराखण्ड) से सम्बद्ध

दूरभाष : (01382) 256272

मूल्य :60/-

महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय

बिथ्याणी (यमकेश्वर) पौड़ी गढ़वाल

शैक्षिक विवरणिका

20..... - 20......

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, (उत्तराखण्ड) से सम्बद्ध

दूरभाष : (01382) 256272

मूल्य :60/–

महायोगी गुरू गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी यमकेश्वर (पौड़ी गढ़वाल)

परिचय

यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोटद्वार से ऋषिकेश के मध्य उच्च शिक्षा का कोई माध्यम न होने के कारण यह महसूस किया गया कि यमकेश्वर ब्लाक के ग्राम बिथ्याणी (यमकेश्वर) जो कि कोटद्वार एवम् ऋषिकेश से 70–70 किमी0 के मध्य स्थित है, में उच्च शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की जाये। यमकेश्वर, दुगड्डा तथा द्वारीखाल विकास क्षेत्र का मिलानी क्षेत्र के छात्र/छात्राओं खासतौर से कम सम्पन्न परिवार के बालक एवं बालिकायें उच्च शिक्षा से वंचित रहते आये थे और धनाभाव एवं साधनाभाव के कारण काफी छात्र/छात्रायें उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। इस महाविद्यालय की प्रेरणा श्री गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) परम पूज्य गोरक्षापीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ जी महाराज (वर्तमान में ब्रह्मलीन) एवं उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी महंत श्रीयुत योगी आदित्यनाथ जी सांसद गोरखपुर (वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश) ने दी और महाविद्यालय संचालन के लिए शिक्षा समिति के गठन, पंजीकरण एवं भूमि की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक मार्ग निर्देशन दिया।

उक्त निर्देशन प्राप्त होने पर महायोगी गुरू गोरखनाथ शिक्षा समिति बिथ्याणी (यमकेश्वर) पौड़ी गढ़वाल का गठन वर्ष 1998 में किया गया तथा सोसाइटी का पंजीकरण दिसम्बर 1998 में सम्पन्न हुआ। शिक्षा समिति ने फिर भूमि की व्यवस्था पर विचार किया जिसमें ग्राम बिथ्याणी, मुंजरा, मलेथा एवं उमरोली के भूमि दाताओं से भूमि दान करने की अपील की गयी। उक्त सम्मानित भूमि दान दाताओं ने भूमि दान देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वर्ष 1999 अक्टूबर में चार दिन में ही 165 नाली भूमि का शिक्षा समिति के नाम पर पंजीकरण हो गया। भूमि पंजीकरण हेतु परम पूज्य महंत जी एवं क्षेत्र के दानदाताओं ने भी अपने–अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया।

वर्ष 1999 से क्षेत्र में उच्चशिक्षा प्रारम्भ करने के उद्देश्य से स्थान बिथ्याणी के मिलन केन्द्र पर ट्यूटोरियल कक्षायें प्रारम्भ की गयी जो वर्ष 2004 तक संचालित होती रही। लेकिन 2004 में शिक्षा समिति के अध्यक्ष माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ट्यूटोरियल कक्षायें स्थगित करके महाविद्यालय की विधिवत शासन से मान्यता तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के निर्देश दिये। अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार शिक्षा समिति ने शासन–प्रशासन से पत्राचार शुरू किया तदुपरान्त जून 2005 को शासन से महाविद्यालय को मान्यता तथा हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से सम्बद्धता प्राप्त हुई।

महाविद्यालय का प्रथम सत्र जुलाई 2005 से प्रारम्भ हुआ जिसमें कला संकाय के सात विषयों हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2006 से ही महाविद्यालय में संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षायें संचालित की जाने लगी।

महाविद्यालय के नवनिर्माण हेतु स्व0 आनन्द सिंह बिष्ट जी पूर्व उपाध्यक्ष महाविद्यालय समिति एवं अन्य सदस्यगणों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। माननीय बिष्ट जी के अनेक वर्षो की तपस्या तथा अथक प्रयास से महाविद्यालय क्रमशः प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। प्रबन्धक महोदय का सपना था कि इस महाविद्यालय का राजकीयकरण के साथ ही महाविद्यालय में स्नात्तकोत्तर की कक्षाओं सहित अन्य संकाय एव व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित किये जा सकें जिससे इस क्षेत्र की समस्त जनता लाभान्वित हो सके, महाविद्यालय के राजकीयकरण का सपना भी उनका क्रमशः शासन द्वारा अनुदानित 25 मई 2017 एवं तत्श्चात दिनांक 27 सितम्बर 2018 को महाविद्यालय के राजकीयकरण के शासनादेश सं0. 538/XXIV(7)2018-14(घो0) 15..... के रूप में पूर्ण हुआ व आज महाविद्यालय ''महायोगी गुरू गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय'' के रूप में स्थापित है। उनके अथक प्रयास एवं सेवाभाव के लिए समस्त क्षेत्रवासी एवं महाविद्याालय परिवार उनका आभार व्यक्त करते हैं।

आभार संदेश

महायोगी गुरू गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी (यमकेश्वर) आज इस मंजिल की ओर अग्रसर हो गया है जहां से महाविद्यालय की अनवरत प्रगति दृष्टिगोचर प्रतीत होती है। स्व0 श्री आनन्द सिंह बिष्ट जी मंत्री/प्रबन्धक महायोगी गुरू गोरखनाथ महाविद्यालय बिथ्याणी (यमकेश्वर) और शिक्षा समिति के अथक प्रयासों का ही यह प्रतिफल है। महाविद्यालय के राजकीयकरण के साथ ही इसे स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में देखने के लिए मा0 बिष्ट जी प्रबल इच्छुक रहे हैं। महाविद्यालय में अन्य कोर्स भी संचालित हों, जिससे क्षेत्र के छात्र/छात्रायें एवम् क्षेत्रीय जनता भी लाभान्वित हो सकें। उनकी शुभकामनाएं एवम् आशीर्वाद सदैव महाविद्यालय के साथ हैं।

क्षेत्र प्रगति में महाविद्यालय की भूमिका का जब कभी भी आंकलन किया जायेगा, विकट व विपरीत परिस्थितियों में महाविद्यालय स्थापना एवं संचालन में आपका सहयोग सदैव स्मरणीय रहेगा।

(समस्त महाविद्यालय परिवार)

अध्ययन विषय एवं पाठ्यक्रम चयन

स्नातक में प्रवेश हेतु इण्टरमीडियट 10+2 (उत्तीर्ण) या समकक्ष परीक्षा उत्तीण होना अनिवार्य है।
महाविद्यालय में कला संकाय के अर्न्तगत निम्नवत पठन–पाठन किया जाता है।

कला संकाय

स्नातक– हिन्दी ,अंग्रजी , संस्कृत , अर्थशास्त्र , राजकीति विज्ञान , समाजशास्त्र ,इतिहास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2022–23 से लागू किए जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–1196/xxiv-c-4/2021-01(06) 2019, दिनांक 8 अक्टूबर 2021 के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के परिसर एवं समस्त सम्बद्ध) महाविद्यालयों हेतु जारी दिशा निदश।

पाठ्यक्रम

स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह– पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, सह – पाठ्यक्रम तथा दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।

तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

विद्यार्थी को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होंगी।विद्यार्थी को निर्गत प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा पर उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार परक पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। विद्यार्थी को सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी। विद्यार्थी निकास के पश्चात् अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा किंतु प्रवेश लेने पर उसे अपना सर्टिफिकेट/डिप्लोमा विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। साथ ही पूर्व पात्रता के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध होगी।
विद्यार्थी जिस संकाय में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसे स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।यदि कोई विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की उपाधि दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिसमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यकता शर्त नहीं होगी।

प्रवेश

कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त करने के बाद होगा किंतु यदि छात्र ने इण्टरमीडिएट स्तर पर कला वर्ग के अन्तर्गत **अर्थशास्त्र** अथवा **गणित** विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत में प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।

मुख्य (Major) विषय तथा गौण चयनित (Minor Elective) पेपर

- विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय **(कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि)**का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (Major) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।
- तीसरे मुख्य (Major) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
- विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विशय में 4 क्रेडिट का होगा।
- माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre-Requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विशय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) लेना होगा।
- तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषय का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो।
- विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषयक को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पांचवे एवं छठवे वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।
- विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव कर सकता है।
- माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जायेगा। चुने हुए माइनर विषय/पेपर की कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

पाठ्यक्रमों हेतु विषय संयोजन

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृश्टिगत संचालित कला संकाय के विषयों को तीन समूहों (समूह अ, समूह ब तथा समूह स) में विभाजित करते हुए इनके चयन संबंधी निर्देश निम्न पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रारंभिक रूप से यह नियम सत्र 2022–23 हेतु प्रभावी होंगे। आगामी सत्रों से इन नियमों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है।

समूह अ	समूह ब	समूह स
Hindi Drawing	Drawing and Painting	Anthropology
English	Home Science	Military Science
Sanskrit	Education	Economics
	Geography	Political Science
	Music	Statistic
	Sociology	
	Psychology	
	Physical Education	

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन विषयों का चयन कर सकता है। सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा।

विद्यार्थी समूह में से किसी एक समूह से अधिकतम दो विषयों का ही चयन कर सकता है। किसी एक समूह से तीन विषयों का चयन नही किया जाएगा। विद्यार्थी दो से अधिक भाषा/साहित्य विषयों का चयन नहीं करेगा। विद्यार्थी दो से अधिक से अधिक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा।

कौशल विकास पाठ्यक्रम

कौशल विकास/रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय स्तर पर उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग कि शासनादेश संख्या 1196/4/2021-01(06)2019 दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है।

स्नातक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक–एक कौशल विकास कोर्स 12 (3X4) क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

1- Disaster Manegment...................................... 1 Semester
2- Financial literacy..2 Semester
3- Right to Information...3 Semester
4- Fundamental of Computer................................4 Semester

सह–पाठ्यक्रम

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो **(छः सेमेस्टर)** के प्रत्येक में एक–एक सह पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा।

विद्यार्थी को हर सह–पाठ्यक्रम को 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्याथी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हे सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

ये छह पाठ्यक्रम सेमेस्टर अनुसार निम्नवत् होंग।

प्रथम सेमेस्टर	:	संपर्क व्यवहार कौशल
द्वितीय सेमेस्टर	:	पर्यावरण अध्ययन एवं मूल्य शिक्षा
तृतीय सेमेस्टर	:	श्री मद भागवत गीता में प्रबंधन प्रतिमान
चतुर्थ सेमेस्टर	:	वैदिक विज्ञान/वैदिक गणित
पंचम सेमेस्टर	:	ध्यान/ राम चरित मानस के अनुप्रयुक्त दर्शन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास
षष्टम् सेमेस्टर	:	भारतीय पारंपरिक ज्ञान का सार/ विवेकानन्द अध्ययन

शोध परियोजना

- स्नातक/स्नातकोत्तर (पी. जी. डी. आर.) स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवे से ग्यारहवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी, विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष मे वृहद शोध परियोजना करनी होगी, (पी. जी. डी. आर.) में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।
- विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी, यह शोध परियोजना एक Interdisciplinary भी हो सकती है, यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी /तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- विद्यार्थी वर्ष के अंत मे दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध Repot/ Dissertation जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत मे सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंको में से किया जायेगा।
- स्नातक स्तर एवं (पी. जी. डी. आर.)के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्ताकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी. जी. पी. ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

- स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांको पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी. जी. पी. ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

-
- थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य करना होगा।
- प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।
- क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय " ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट " के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।
- विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।
- एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नही कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 45 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षो बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender)कर 46 क्रेडिट को खाते में रि–क्रेडिट (Re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षो के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य (Major) विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.E) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा
- जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Pre-requisite की आवष्यकता नहीं होगी।

- यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टीफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट रि–क्रेडिट (Re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि–क्रेडिट (Re-credit) किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91.100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6

कक्षान्नोति (Promotion)

- विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अगले सम सेमेस्टर (Even Semster) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।
- सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तो के साथ दी जायेगी।
- विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनो सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्षा (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माईनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying Papers (सह–पाठ्यक्रम) के क्रेडिट्स उत्तीर्ण कर लिये हों।
- 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

बैक पेपर अथवा सुधार (Improvem) परीक्षा

- आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार परीक्षा (Improvement) नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स के संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।
- विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर में ही उपलब्ध होगी।
- विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम

(Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

- विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाहय) परीक्षा काल बाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

शिक्षणत्तर क्रिया–कलाप

छात्रों के चहुँमुखी विकास के लिए महाविद्यालय में निम्नलिखित शिक्षणेत्तर व्यवस्था उपलब्ध हैं:–

1. राष्ट्रीय सेवा योजना 2. क्रीड़ा परिषद् 3. विभागीय परिषद् 4. सांस्कृतिक परिषद्

1. **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0)** – महाविद्यालय में वर्ष 2008 से रा0से0यो0 की एक इकाई (100 स्वयंसेवी) संचालित हो रही है। इसके अर्न्तगत विभिन्न गाँवों में स्वयंसेवियों के द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रमों जैसे – पर्यावरण प्रदूषण, एड्स, रक्तदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं गाँवों मे स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का संचालन कार्यक्रम अधिकारी के मार्ग निर्देशन में किया जाता है। 7 मई 2004 को जारी शासनादेश में 'ए' 'बी' तथा 'सी' प्रमाण पत्र हेतु निम्न आवश्यक शर्तो का निर्धारण किया गया है।

(i) 'ए' प्रमाण पत्र हेतु सामान्य व विशेष कार्यक्रमों में 240 घण्टे की सेवा तथा एक सात दिवसीय विशेष शिविर में सहभागिता करने वाले स्वंयसेवियों को प्रदान किया जाएगा।

(ii) 'बी' प्रमाण पत्र हेतु उपरोक्त कार्यक्रमों ('ए' प्रमाण पत्र हेतु) को करने के पश्चात नामांकन के प्रथम वर्ष में निर्धारित पाठ्यक्रम पर 100 अंकों की परीक्षा पास करनी होगी।

(iii) 'सी' प्रमाण पत्र हेतु नामांकन के द्वितीय वर्ष में निश्चित उपस्थिति तथा 'बी' प्रमाण पत्र हेतु आयोजित परीक्षा पास करने वाले स्वयंसेवी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यह परीक्षा भी 100 अंको की होगी।

2. **क्रीड़ा परिषद्** – छात्रा/छात्राओं के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के परिपेक्ष में पठन–पाठन के साथ–साथ क्रीड़ा गतिविधियों का होना भी आवश्यक है। महाविद्यालय में एथलैटिक्स, क्रिकेट, बैटमिन्टन एवं वॉलीबॉल आदि क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। वार्षिक समारोह में खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को सम्मानित किया जाता है।

3. **विभागीय परिषद्**– प्रतिवर्ष सभी विषयों में विभागीय परिषदों का गठन किया जाता है, जिनके माध्यम से विभिन्न शिक्षणेत्तर कार्यक्रम निबन्ध, सामान्य ज्ञान, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं आदि आयोजित किये जाते हैं।

4. **सांस्कृतिक परिषद्** –सांस्कृतिक परिषद् के तत्वाधान में प्रतिवर्ष महाविद्यालय में सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसके अर्न्तगत लोकगीत, लोकनृत्य, एकल नृत्य आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश –

विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय द्वारा सत्र 20––/20–– हेतु स्नातक स्तर पर निम्नवत विषयवार सीटें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गयी हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।

कला संकाय –

S.N	Department	Course	Duration	Nature	Seats
1	Hindi	B.A.	6 Sem	Regular	60
2	English	B.A.	6 Sem	Regular	60
3	Sanskrit	B.A.	6 Sem	Regular	60
4	Political Science	B.A.	6 Sem	Regular	60
5	Economics	B.A.	6 Sem	Regular	60
6	History	B.A.	6 Sem	Regular	60
7	Sociology	B.A.	6 Sem	Regular	60

1. आवेदन पत्र भरने से पहले और विषयों के चयन करते समय अभ्यर्थी प्रवेश नियमों को अच्छी तरह पढ़ लें।
2. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) तथा चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करना आवश्यक है।
3. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अंक तालिकाओं तथा खेल सम्बन्धी एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगाना आवश्यक है।
4. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उचित स्थान पर चिपकाना आवश्यक है, तथा दो अतिरिक्त फोटो परिचय पत्र एवं छात्र पंजीयन के लिए साथ में लाना अनिवार्य है।
5. निर्धारित तिथि से पूर्व अभ्यर्थी प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दें
6. प्रत्येक छात्र को निर्धारित तिथि तक प्रवेश का वार्षिक शुल्क, शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षा फार्म भरकर कार्यालय में जमा कराना होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त समझा जाएगा।
7. प्राचार्य को बिना कोई कारण दिये प्रवेश न देने/निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. प्रवेश की अन्तिम तिथि सभी कक्षाओं के लिए है, लेकिन जिनके परीक्षाफल बाद में घोषित होंगे उनसे सम्बन्धित सभी कक्षाओं के लिए कक्षा में प्रवेश परीक्षाफल घोषित होने के 10 दिन के अन्दर होंगें।

9. अनुसूचित जाति/जन जाति/विकलांग/अन्य पिछड़ी जाति (ओ0बी0सी0) संवर्ग के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित आरक्षण सुविधा एवं अन्य किसी लाभ के लिए प्रवेश पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाण–पत्र भी अवश्य संलग्न करें।

10. महाविद्यालय के गतवर्ष के विद्यार्थियों को आवेदन पत्र के साथ विगत परीक्षा की स्वप्रमाणित/सत्यापित अंकतालिका जमा करना होगा।

11. जिन छात्र/छात्राओं की गतिविधियाँ अनुशासन मण्डल/प्रशासन की दृष्टि से अवांछित हैं उन्हे प्रवेश लेने से रोका जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

12. महाविद्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र जमा करनें की तथा प्रवेश लेने की अन्तिम तिथि वही होगी जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगी।

13. प्रवेश के सम्बन्ध में समस्त सूचनाएं महाविद्यालय सूचना पट पर चस्पा की जायेगी।

14. यू0जी0सी0 द्वारा एन्टी रैगिंग का वेबसाइट www.antiragging.in पर जाकर ऑनलाइन प्रपत्र छात्र/छात्रा द्वारा भरा जाए तथा उसका प्रिंटआउट प्रवेश आवेदन पत्र के साथ मूल रूप से लगाना अनिवार्य है।

15. सभी कक्षाओ में प्रवेश हेतु 90 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड़ के निवासियों के लिये होगीं।

16. प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क वापस नही होगा।

17. परीक्षा फार्म के साथ प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति लाना अनिवार्य है।

18. UGC की Website address www.antiragging.in पर जाकर online प्रपत्र छात्र/छात्रा द्वारा व उनके अभिभावक द्वारा भरी जायेगी तथा उसका Printout प्रवेश आवेदन पत्र के साथ मूल रूप से लगाना अनिवार्य है।

19. उत्तराखण्ड बोर्ड द्वारा इण्टरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अन्य बोर्ड जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रवेश हेतु मान्य होंगे उन्ही अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश दिया जा सकेगा।

20. शिक्षा सत्र 2023–24 से समर्थ पोर्टल से ही छात्रो के प्रवेश होगें।

उपस्थिति नियम

शासनादेश एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त छात्रों के लिए सम्बन्धित कक्षाओं में पृथक रूप से प्रत्येक विषय हेतु व्याख्यानों ट्यूटोरियलों मे न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा न्यूनतम उपस्थिति सत्र पूर्ण न करने वाले छात्र वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी नही होंगें। राष्ट्रीय पर्वो में यथा 15 अगस्त , 26 जनवरी , 2 अक्टूबर आदि में उपस्थिति अनिवार्य है।

1. यदि कोई छात्र गम्भीर बीमारी से ग्रस्त रहा हो तथा कक्षाओं हेतु पुनः उपस्थित होने के 10 दिन के अन्दर पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

2. महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन0एस0एस0 शिविर, खेलकूद समारोह आदि में जाने पर उपस्थिति न्यूनतम मार्जन कर दी जाएगी। समस्त कक्षाओं में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जाएगी।

3. किसी भी पाठ्यक्रम से सम्बन्धित शिक्षक उस पाठ्यक्रम में पंजीकृत छात्रों की उपस्थिति रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।

4. सभी शिक्षक सेमेस्टर के अन्त में प्राचार्य को ऐंसे सभी छात्रों का ब्यौरा उपलब्ध करायेंगे जिनकी उपस्थिति एक या अधिक पाठ्यक्रमों में 75 प्रतिशत से कम है।

5. महाविद्यालय में उत्तराखण्ड मुक्त विश्व–विद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित है तथा महाविद्यालय में संचालित हो रहे विषयों के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्ययन की व्यवस्था है।

6. श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बादशाहीथौल (टिहरी गढवाल)/ सम्बद्ध विश्वविद्यालय के निर्देशित उपस्थिति नियम ही महाविद्यालय में प्रवेश उपस्थिति नियम होंगे।

7. राष्ट्रीय पर्वो यथा स्वतंत्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, 2 अक्टूबर आदि में सभी छात्र/छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

8. 75 प्रतिशत उपस्थिति नही होने पर छात्र सघं चुनाव लडने पर रोका जा सकता है।

अनुशासन

महाविद्यालय स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण बनाये रखने हेतु अनुशासन मण्डल का गठन किया जाता है। अनुशासन मण्डल द्वारा महाविद्यालय में समय–समय पर नियम बनाये जाते हैं, जिनका अनुपालन छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य है। अनुशासन मण्डल का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। छात्रों द्वारा किसी भी अनुचित व्यवहार व किसी नियम का उल्लंघन करने पर अनुशासन मण्डल को पूर्ण अधिकार है कि वह छात्र के विरूद्ध उचित कार्यवाही/निष्कासित कर सकता है। महाविद्यालय के सभी छात्रों से आशा की जाती है कि वे महाविद्यालय मे अनुशासन तथा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें।

मूख्य नियंता

निम्नलिखित श्रेणी का व्यवहार महाविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता की श्रेणी में समझे जायेंगे।

1. प्राचार्य एवं प्राध्यापकों से अशिष्ठ व्यवहार, अनुशासनहीनता प्रदर्शित करना, प्रहसन करना।

2. शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ अशिष्ठ व्यवहार एवं प्रहसन करना।

3. महाविद्यालय में आगन्तुकों के साथ अशिष्ठ व्यवहार एवं प्रहसन करना।

4. महाविद्यालय के किसी भी समारोह मे अशिष्ठ व्यवहार एवं प्रहसन करना।

5. आपत्तिजनक परिवेश में महाविद्यालय में उपस्थित होना।

6 कक्षा में अन्य छात्र/छात्राओं के साथ महाविद्यालय की मर्यादाओं के विरूद्ध आचरण करना 'शस्त्र' लेकर आना।

7. किसी भी छात्र/छात्रा को जाति सूचक 'शब्दों' का प्रयोग एवं प्रहसन करना।

8. जाली हस्ताक्षर, जाली कागजात, झूठा प्रमाण पत्र एवं झूठा बयान प्रस्तुत करना।

निषेध

1. महाविद्यालय की सम्पत्ति का क्षति पहुँचाना तथा दीवारों पर लिखना, संकेतों का निशान बनाना एवं महाविद्यालय के विद्युत उपकरणों से छेडछाड करना।
2. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना।
4. कक्षाओं में च्यूंगम, पान मसाला आदि चबाना और काला चश्मा पहनना।
5. महाविद्यालय के अधिकारी या शिक्षक द्वारा छात्रों का परिचय पत्र माँगने पर इन्कार करना।

परिचय पत्र

1. महाविद्यालय के प्रत्येक संस्थागत छात्र को महाविद्यालय कार्यालय से परिचय पत्र दिया जाता है। परिचय पत्र छात्र को हमेशा अपने साथ रखना आवश्यक है। यदि कभी महाविद्यालय का कोई सदस्य परिचय पत्र दिखाने को कहता है और उस समय यदि छात्र परिचय पत्र नहीं दिखाता है तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जाएगा।
2. प्रथम बार निर्गत परिचय पत्र खो जाने पर महाविद्यालय कार्यालय से दूसरा परिचय पत्र दिया जाता है, किन्तु इसके लिए 50/– रू का अतिरिक्त शुल्क कार्यालय में जमा करना होगा।
3. परिचय पत्र पर चीफ प्रॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं होने पर परिचय पत्र वैध नहीं माना जाएगा।

सुविधायें

पुस्तकालय–

1. महाविद्यालय कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक पुस्तकों का आदान–प्रदान होता है।
2. सभी संस्थागत छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर दो पुस्तकें 15 दिन के लिए निर्गत की जायेंगी। 15 दिन के पश्चात पुस्तक पुस्तकालय में वापस लौटानी आवश्यक है। 15 दिनों पश्चात 10रू और एक माह के पश्चात 15रू प्रतिदिन प्रति पुस्तक अर्थदण्ड देय होगा।
3. पुस्तकों के क्षतिग्रस्त या खो जाने की स्थिति में उसी शीर्षक एवं लेखक की पुस्तक का नवीनतम संस्करण अथवा पुस्तक का दोगुना मूल्य जमा करना होगा।
4. पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गत करवाते समय सभी छात्र/छात्राएँ पुस्तकों को भली–भाँति जाँच लें
5. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए ई लाईब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, सभी छात्र/छात्राओं को ई लाईब्रेरी में कम्प्यूटर एवम् अन्य उपकरणों का प्रयोग सावधानी एवम् जिम्मेदारी के साथ करना अनिवार्य होगा तथा पुस्तकालय नियमों का अनुपालन करना होगा अन्यथा की स्थिति में निर्धारित अर्थदण्ड देय होगा।

5\. महाविद्यालय में समाज कल्याण विभाग से दी जाने वाली छात्रवृति अथवा अन्य शासन द्वारा एक राजकीय महाविद्यालय को प्रदत सुविधायें देय होंगी।

विवरणिका संयोजन समितिः–

1\. डॉ राम सिंह सामन्त
2\. श्री विनय कुमार पाण्डेय
3\.श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट

प्रवेश आवेदन पत्र बिक्री समिति

1\. श्री सुनील रावत
2\. श्रीमती पूनम

उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) के पृष्ठाकन संख्या – डिग्री सेवा /316–18/2018–19 दिनांक 12 अप्रैल 2018 के द्वारा महाविद्यालय स्तर पर रक्षित छात्र निधियों के अर्न्तगत छात्रों से प्राप्त किये जाने वाले वार्षिक शुल्क की राशियों का विवरण।

महाविद्यालय का मदवार शुल्क विवरण

(अ) कोषागार निधियाँ

क्र.सं.	शुल्क का विवरण	शुल्क
	शासकीय शुल्क	
1.	प्रवेश शुल्क	03.00
2.	महंगाई शुल्क	240.00
3.	विकास शुल्क	20.00
4.	पुस्तकालय शुल्क	03.00
5.	पंखा शुल्क	04.00
	योग	**270.00**

(ब) महाविद्यालय की छात्र निधियाँ -

	महाविद्यालय शुल्क	
6.	क्रीड़ा शुल्क	**300.00**
7.	वाचनालय शुल्क	**50.00**
8.	आन्तरिक परीक्षा शुल्क	**60.00**
9.	मरम्मत/विद्युत व्यय शुल्क	**100.00**
10.	प्रांगण विकास शुल्क	**100.00**
11.	महाविद्यालय दिवस, जयन्ती शुल्क	**30.00**
12.	शिक्षक–अभिभावक संघ	**50.00**
13.	विविध शुल्क	**150.00**
14.	वार्षिक समारोह/सांस्कृतिक परिषद	**60.00**
15.	परिचय पत्र शुल्क	**30.00**
16.	कम्प्यूटर रख रखाव शुल्क	**100.00**
17.	कैरियर काउन्सिलिंग शुल्क	**30.00**
18.	प्रशाधन शुल्क	**60.00**
19.	सौर्न्दयीकरण शुल्क	**50.00**
20.	विभागीय परिषद शुल्क	**80.00**
21.	प्रतिभूतिधन/कौशन मनि	**200.00**
22.	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	**20.00**
23.	छात्र संघ शुल्क	**60.00**
	योग	**1530**
	महायोग	**1800**

24. विश्वविद्यालय परीक्षा/नामांकन/उपाधि शुल्क– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि

नोट – परीक्षा एवं अन्य शुल्क श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के निर्देशानुसार देय होगा।

महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक विवरण :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विषय	मो0 नम्बर
1	डॉ0 एम0 पी0 नगवाल	प्राचार्य	प्राचार्य	8077551161
2	डॉ0 उमेश त्यागी	सहायक प्राध्यापक	इतिहास	9837473962
3	श्री विनय कुमार पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	9837926677
4	डॉ राम सिंह सामन्त	सहायक प्राध्यापक	समाजशास्त्र	7409150642
5	डॉ0नीरज नौटियाल	सहायक प्राध्यापक	संस्कृत	8954157715
6	श्री सुनील प्रसाद	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेजी	8979321615
7	डॉ अनिल कुमार सैनी	सहायक प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	8433189280
8	श्रीमती पूजा रानी	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी	8006818807

महाविद्यालय में कार्यरत मिनिस्ट्रियल एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विवरणः–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मो0 नम्बर
1	श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रशासनिक अधिकारी	9837849194
2	श्री मानेन्द्र सिंह बिष्ट	मुख्य सहायक	8449739200
3	श्री संजय कुमार रतूड़ी	सहायक लेखाकार	6395208188
4	श्रीमती सीमा देवी	सहायक पुस्पकालयाध्यक्ष	9568257383
5	श्रीमती पूनम	कनिष्ठ लिपिक	6397922395
6	श्री सुनील रावत	कम्प्यूटर ऑपरेटर	8958677952
7	श्रीमती बीना देवी	स्टोर कीपर	6397394903
8	श्री सतीश सिंह नेगी	विद्युतकार	9639123950
9	श्री भगत सिंह	चालक	8958056055
10	श्री गजेन्द्र सिंह	परिचालक	9720353253
11	श्री सुशील सिंह नेगी	रात्री चौकीदार	8057796568
12	श्री अखिलेश सिंह नेगी	अनुसेवक	7500651421
13	श्री वेद किशोर सिंह नेगी	माली	9837315915
14	श्री प्रशान्त कुकरेती	बुक बाईण्डर एवं लिफ्टर	8057371778
15	श्री धर्मेन्द्र सिंह	सफाईकार	9761581175